मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 2010—पौष 12, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2010

क्र. 13-1-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2009 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१०

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 2 जनवरी, 2010 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

(२) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा १५ का संशोधन.

२. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १५ की उपधारा (६) में, शब्द और अंक "या ६५ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, जो भी पूर्वतर हो," का लोप किया जाए.

धारा ५० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "अठारह मास से अनधिक कालावधि के लिए" के स्थान पर, शब्द "चार वर्ष की कालावधि के लिए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "प्रथम कुलपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी" के स्थान पर, शब्द "प्रथम कुलपति की दो वर्ष की कालावधि के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2010

क्र. 14-1-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2010

RAJMATA VIJAYA RAJE SCINDIA KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 30th December, 2009; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 2nd January, 2010.]

An Act to amend the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 15.

2. In sub-section (6) of Section 15 of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009) (hereinafter referred to as the principal Act), the words and figure "or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier" shall be omitted.

Amendment of Section 50.

3. In Section 50 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "for a period not exceeding eighteen months", the words "for a period of four years" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "The first Vice-Chancellor shall have the following powers", the words "The first Vice-Chancellor shall have the following powers for a period of two years" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.